न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
67/22	29.03.2022	24-2-25

उनवान

1. सुभाष पुत्र श्री राधामल
2. सुदामा पुत्र राधामल
3. धन्ना पुत्र राधामल जातियान खत्री सिंधी निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी बासडा किशनगढबास तहसील किशनगढबास।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर।

:–अप्रार्थीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज

दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद शर्मा वकील।

2. अप्रार्थी की ओर से श्री जगन सिंह वकील।

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.5300हे0 वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे स्थित है जिसका 24/53 भाग प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी सं0 2075–2078 संलग्न वादपत्र है।

आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.5300हे0 का 24/53 भाग वाके ग्राम किशनगढबास हम वादीगण व तर0प्रति0 के पिता राधामल पुत्र श्री गन्नूमल जाति खत्री सिंधी नि0 किशनगढबास तहसील किशनगढबास की अलोटशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसके नाम का अंकन बतौर अलोटी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदीयात संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.5300हे0 का 24/53 भाग वाके ग्राम किशनगढबास जिला अलवर पर हम वादीगण व तर0प्रति0 के पिता राधामल पुत्र श्री गन्नूमल जाति खत्री सिंधी नि0 किशनगढबास उनके जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् हम वादीगण व तर0प्रति0 विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा अपने उपयोग उपभोग मे काम मे लेते चले आ रहे है।

हम वादीगण व तर0 प्रति0 के पिता तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण व तर0प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर शांतिपूर्वक मौके पर तन्हा रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी हमारी अलोटशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। इसलिए हम वादीगण व तर0प्रति0 विवादित आराजी की कीमत कर्जा जमा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

करा खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। जिसके लिए दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

हम वादीगण व तर0प्रति0 को दिनांक 15.03.2022 को गांव में जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 हजारी द्वारा फर्जी व नुमायशी इकरारनामा व दस्तावेजो के आधार पर विवादित आराजी का पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हम वादीगण व तर0प्रति0 को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिल्लत कर हम वादीगण व तर0प्रति0 की कब्जे काश्त अलोटशुदा गैरखातेदारी की आराजी खसरा संख्या 209 रकबा 0.53हे0 का 24/53 भाग का पट्टा तन्हा अपने नाम जारी करायेगा, यदि वाकई प्रतिवादी संख्या 1 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन वादी व तर0प्रति0 को अजहद हानि होगी, ऐसी सूरत मे हम वादीगण प्रतिवादीगण असल को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द करने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.53हे0 का 24/53 भाग वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास का पट्टा तन्हा अपने नाम जारी नही कराये, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 के हक मे कोई पट्टा जारी करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 2 कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट इत्यादि करे, ना ही जब्रन मिन वादी व तर0प्रति0 को विवादित आराजी से बेदखल करे, ना ही उपयोग उपभोग वादी व तर0प्रति0 में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी को ता फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.5300हे0 का 24/53 भाग वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास का पट्टा तन्हा अपने नाम जारी नही कराये, ना ही प्रतिवादी संख्या 2 कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट इत्यादि करे, ना ही जब्रन वादी व तर0प्रति0 को विवादित आराजी से बेदखल करे, ना ही उपयोग उपभोग वादी व तर0प्रति0 मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 30.03.2022 को दिनांक 26.04.2022 तक इस अमर का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया कि अप्रार्थीगण मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 स्वयं मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी विवादित का बेचान राधामल स्वयं ने अपनी अलोटशुदा गैरखातेदारी आराजी कि बिक्री का सोदा मिन अप्रार्थी से दिनांक 29.12.1986 को कर चुकता रकम लेकर मौका पर कब्जा मिन अप्रार्थी को सोंप दिया था तथा तब से लगातार मिन अप्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राधामल ने इकरारनामा मिन अप्रार्थी के हक मे तहरीर कर दिया था। बाद बेचान राधामल का या उनके वारिसान प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का कोई सरोकार वो संबंध या कब्जा नही रहा है। मिन अप्रार्थी ने नियमानुसार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढबास आराजी की कीमत जमा कराकर सनद हकूक खातेदारी हासिल की है व बतौर खातेदार मौका पर काबिज है। प्रार्थीगण गैर काबिज गैरवास्ता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण गलत है स्वीकार नही हे प्रार्थीगण गैर काबिज गैरवास्ता है जो प्रार्थना पत्र लाने के व अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण शुद्धहस्त होकर नही आये है बल्कि गलत तथ्यों के आधार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

पर अप्रार्थी को तंग/परेशान करने व आराजी को बदयान्तीपूर्वक हडपने की नीयत से वाद /प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। जो काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज किया जावे। जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र वास्ते बहस नियत किया गया।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय हाजा का आदेश 30.03.2022 को ताफैसला दावा स्थाई किये जाने निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 25.9.2020 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सवंत 2073–2076 के अनुसार विवादित आराजी राधामल पुत्र गन्नूमल हिस्सा 24/53 जाति खत्री सा0देह अलोटी राजस्व रिकार्ड के गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड रहा है। तथा विवादित आराजी का बेचान राधामल पुत्र गन्नूमल ने दिनांक 29.12.1986 को बिल ऐवज 6500/–रूपये मे कर चुकता रकम प्राप्त कर इकरारनामा तहरीर किया हुआ है। तथा विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार कीमत जमा कराकर हकूक खातेदारी सनद हासिल की हुई। तथा बाद बेचान राधामल ने अप्रार्थी को कब्जा काश्त सुपुर्द किया हुआ है। अतः राधामल या उसके वारिसान का विवादित आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नही है। तथा वादीगण/प्रार्थीगण ने इसी विवादित आराजी पर दिनांक 13.10.2022 को न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर से अपील प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश जारी करवाया हुआ है। जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति वकील अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस पेश की गई है। चूंकि विवादित आराजी पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन प्राप्त किया हुआ है तथा विवादित आराजी अप्रार्थी द्वारा अलोटी राधामल पुत्र गन्नूमल से जरिये इकरारनामा खरीद कर नियमानुसार श्रीमान न्यायायल उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से कीमत जमाकर हकूक खातेदारी प्राप्त किये हुए है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं प्राईमाफैसा फिलहाल अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए हम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.03.2022 को अपास्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0बाबत आराजी ख0न0 आराजी खसरा नं0 209 रकबा 0.5300हे0 का 24/53 भाग वाके ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.03.2022 को अपास्त किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर सलग्न मूल वाद रहे।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(खैरथल–तिजारा)